न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न, (म॰प्र॰)

क्रमांक– 207/सी•जे•एम•/2024 सिंगरौली, दिनांक 04.12.2024

:: **आपराधिक कार्य विभाजन संशोधन पत्रक 2024** ::

जिला सिंगरौली की तहसील सरई में श्रृंखला न्यायालय समाप्त होकर नियमित न्यायालय प्रारंभ होने और नियमित न्यायालय में श्री हर्षवर्धन राठौर की मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति होने पर तहसील न्यायालय सरई के सुचारू संचालन हेतु मैं महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म॰प्र॰) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में प्रभावशील आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 15.04.2024 में निम्नानुसार संशोधन करता हूं कि–

यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न के अनुमोदन उपरांत दिनांक 05.12.2024 से प्रभावशील होगा।

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रकरणों का स्वरूप/क्षेत्राधिकार	रिमार्क
1.	श्री हर्षवर्धन राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सरई,जिला सिंगरौली (म॰प्र॰)	1. थाना सरई एवं उसकी चौकियों के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र। 2. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जावें।	

नोटः–

1. श्री हर्षवर्धन राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरई के अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य श्री अनिल नामदेव, अनुपस्थिति की दशा में श्री विष्णुकांत मिश्रा, अनुपस्थिति की दशा में श्री अंकुर तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर द्वारा संपादित किया जावेगा।

2. श्री हर्षवर्धन राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरई के सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने पर उनके न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य तहसील न्यायालय देवसर के रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

3. थाना सरई से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मामलों में धारा 164 दं.प्र.सं./183 बीएनएसएस के कथन श्रीमती अदिति तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, अनुपस्थिति की दशा में सुश्री प्रिन्सू मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्या. बैढ़न, अनुपस्थिति की दशा में सुश्री सिमरन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्या. बैढ़न द्वारा लिये जायेंगे।

4. थाना सरई से उद्भूत अन्य मामलों में धारा 164 दं.प्र.सं./183 बीएनएसएस के कथन श्री अनिल नामदेव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, अनुपस्थिति की दशा में श्री विष्णुकांत मिश्रा, अनुपस्थिति की दशा में श्री अंकुर तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर द्वारा लिये जायेंगे।

5. थाना सरई से उद्भूत धारा 52ए एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देवसर द्वारा की जावेगी।

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र. / 207 / सी.जे.एम. / 2024 सिंगरौली, दिनांक :– 04/12/2024

प्रतिलिपिः– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
3. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला न्यायाधीश मुख्यालय बैढ़न/देवसर/सरई जिला सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री...न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली मुख्या0 बैढन/देवसर/सरई जिला सिंगरौली म0प्र0,
5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिंगरौली म0प्र0
6. प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली म0प्र0
7. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0,
8. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
9. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
10. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
13. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली म0प्र0,
14. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
15. श्रम अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
16. प्रभारी रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0) उप थाना सिंगरौली म0प्र0,
17. थाना जी0आर0पी0 कटनी म0प्र0,
18. नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिंगरौली म0प्र0,
19. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैढन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
20. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन/देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/12/24

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)